राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 192/2014

हरेन्द्र सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF), राजस्थान सरकार, वन भवन, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर, सी–75, रणजीत नगर, भरतपुर।
3. जिला वन अधिकारी, जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.05.2024

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री भवदेश तिवाडी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– **अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चौकीदार के पद पर दिनांक 26.05.1980 को हुई थी, जिसके बाद अपीलार्थी की पदोन्नति कनिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 20.02.1982 को हुई। अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी दिनांक 20.02.1982 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत है, परन्तु उसे 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया तथा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रदान नहीं किया गया, जो उचित नहीं है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से इस अपील में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकरण में हम यह आदेश दिया जाना उचित पाते है कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग परीक्षण करें एवं यदि अपीलार्थी चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है तो अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नियमानुसार मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के भुगतान करें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)